**न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पथ न्यायालय**
**कक्ष संख्या 2, देवरिया।**

सत्र परीक्षण संख्या–456/2020
सरकार बनाम लाल जी
धारा–323,304 भा0दं0सं0
थाना–गौरीबाजार, जनपद–देवरिया।

**04.02.2021**

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्तगण लालजी पुत्र बीरबल, रूपसेन पुत्र रामबृक्ष एवं मिन्तरी देवी पत्नी रूपसेन उपस्थित आये। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण विरूद्ध धारा–323,304 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–323,304 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षी को जरिये सम्मन दिनांक–26.02.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

**(लोकेश कुमार)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0–2,
देवरिया।

दिनांक–04.02.2021

**न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित पथ न्यायालय**
**कक्ष संख्या 2, देवरिया।**

सत्र परीक्षण संख्या–456 / 2020
सरकार बनाम लाल जी
धारा–323,304 भा0दं0सं0
थाना–गौरीबाजार, जनपद–देवरिया।

## आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय) कक्ष संख्या–2, देवरिया, आप अभियुक्तगण–

**1– लालजी पुत्र बीरबल**
**2– रूपसेन पुत्र रामबृक्ष**
**3– मिन्त्री पत्नी रूपसेन**

को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूॅ–

1–यह कि आप अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक–13.08.2020 को समय 3:00 बजे दिन में प्रार्थिनी प्रमिला देवी के पति ऋषिकेश जब कटाई चौराहा पर मौजूद थे तो किसी बात को लेकर आप लोगों ने पीड़ित को सड़क पर पटक–पटक कर मारे–पीटे जिसमें आयी चोटों के कारण चुटैल ऋषिकेश की मृत्यु उसी दिन सायं 6:00 बजे हो गयी। आपके इस कृत्य से आपके द्वारा हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया गया, आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–304** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2–यह कि आप अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त वर्णित समय, दिनांक व स्थान पर ऋषिकेश के साथ मारपीट किया गया तथा तद्द्वारा पीड़ित को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–323** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एततद्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–04.02.2021

**(लोकेश कुमार)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय)
कक्ष संख्या–2, देवरिया।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा विचारण की मॉग किया।

दिनांक–04.02.2021

**(लोकेश कुमार)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(त्वरित पथ न्यायालय)
कक्ष संख्या–2, देवरिया।

Digitally signed by Lokesh Kumar
Date: 2021.02.04 16:18:53 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court